

(5)

06-17

आभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष  
उपस्थित । द्वितीय पक्ष की ओर से  
गवाही दूखी मधुवा से परिणय एवं  
प्रतिपरिणय लिया गया तथा गवाही से  
मुक्त किया गया । द्वितीय पक्ष गवाही  
से दिनांक 03-07-17 को रहे ।

03-07-17

पीछापीन पक्षाधिकारी अलकागं पर ।  
दिनांक 17-07-17 को रहे ।

17-07-17

आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पक्ष  
उपस्थित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित । उक्त  
वाद में 6 (छः) भाद की अवधि पूर्ण  
है इसी से अर्थात् वाद कालबाधित  
हो गया है। अतः वाद में आभिलेख की  
कारवाई बन्द की जाती है ।

कार्यपालक दण्डाधिकारी  
बुण्डू (सैबी)